न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 19/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/258

उनवान

1. हनीफ पुत्र आमीन जाति शेख निवासी ग्राम जुरहरा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

......................अपीलांट।

बनाम

1. रामदास
2. मुल्कराज
3. किशनलाल

} पिसरान हरनाम सिंह जाति खत्री निवासी ग्राम जुरहरा तहसील कॉमा।

.... रेस्पोंडेंट ।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा दिनांक 26.05.2015 प्र.संख्या 32/14 उनवानी हनीफ बनाम रामदास।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–22.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/ रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 73, 585 वाके ग्राम जुरहरा प्रथम तहसील कॉमा में स्थित है। पूर्व में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी थी। जिसको प्रतिवादीगण अर्सा 30 साल पूर्व वादी से एक मुश्त राशि लेकर विवादित आराजी को हमेशा हमेशा के लिये काश्त को बता दी थी। तभी से आराजी मुतदाविया पर वादी निरन्तर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रहे हैं। जिन्हें वादी कलमजन करा पाने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं मिला, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलाण्ट को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने की कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर 30 साल पूर्व से निरन्तर कब्जा काश्त है। अतः अपीलाण्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी होता है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये। जिससे स्पष्ट है कि रैस्पो0 को विवादित आराजी बाबत् अपीलाण्ट को खातेदारी देने में कोई एतराज नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में अहम त्रुटि की है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति जाहिर की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर में मनमाने तरीके से लोक अदालत की भावना के विपरीत, उनकी अनुपस्थिति में, बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित किया है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 27.05.2014 को प्रतिवादियों की तलवी हेतु नियत था। उसके पश्चात् अग्रिम तीन–चार पेशियों में अभिभाषकगणो द्वारा कार्य स्थगित रहा है। पेशी दिनांक 31.10.2014 को भी प्रकरण प्रतिवादियों की तलवी हेतु सही पते के सम्मन पेश करने के लिये नियत रहा एवं पेशी दिनांक 28.04.2015 तक किसी भी प्रतिवादी की तलवी नहीं हो पायी एंव प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 29.05.2015 नियत की गयी। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 26.05.2015 को प्रकरण, बिना प्रतिवादियों की तलवी कराये राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों की सहमति से प्रकरण राजस्व लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कोप–डीग

अदालत में वास्ते निर्णय हेतु रखा जाकर निर्णित किया गया हो। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर